बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स08डी0(बजट–आबंटन–2225)–11–03/2026–41

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी,
गोपालगंज/किशनगंज एवं शिवहर।

पटना, दिनांक – 15/05/2026

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल ₹1,81,643/–(एक लाख एकासी हजार छः सौ तेतालीस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवं उनके कार्यालय में सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन–भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में आवंटन राशि के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालयों के अतिरिक्त राशि मांग के आलोक में कुल ₹1,81,643/–(एक लाख एकासी हजार छः सौ तेतालीस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार की जाती है।

कमांक	कार्यालय का नाम	परिवहन भत्ता (0105)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0601)	भाड़े की गाड़ी के भुगतान (1310)	कुल अतिरिक्त आवंटन राशि (कमांक 3 से 5 का जोड़)
1	2	3	4	5	6
1	जिला कल्याण, गोपालगंज	0	36,843/–	0	**36,843/–**
2	जिला कल्याण, किशनगंज	0	24,800/–	0	**24,800/–**
3	जिला कल्याण, शिवहर	20,000/–	0	1,00,000/–	**1,20,000/–**
	कुल योगः–	**20,000/–**	**61,643/–**	**1,00,000/–**	**1,81,643/–**

कुल राशि (एक लाख एकासी हजार छः सौ तेतालीस रू0)मात्र

2– कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में आय–व्यय शीर्ष "2225–अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01–अनु0 जातियों का कल्याण–001–निदेशन और प्रशासन–0001–निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों– 0001.0105–परिवहन भत्ता, 0001.0601–चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0001.1310–भाड़े की गाड़ी के भुगतान ईकाई मांग सं0–44 –विपत्र कोड सं0 44-2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– जिला स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4– वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक–314/वि0, दिनांक–01.04.2026 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे।

5– राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का होगा। संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह के अंत में व्यय विवरणी, टी0भी0 नम्बर इत्यादि मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

15/5/26

निदेशक।

ज्ञापांक– स08डी0(बजट–आबंटन–2225)–11–03/2026 41 पटना, दिनांक– 15/05/2026

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक,(मु0) अनु0 जाति एवं अनु0 जाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/26

निदेशक

ज्ञापांक– स08डी0(बजट–आबंटन–2225)–11–03/2026 41 पटना, दिनांक 15/05/2026

प्रतिलिपि : संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/26

निदेशक